29.12.2025 वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी पक्ष अनु0।
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई थी।
दौराने बहस निवेदन किया था कि प्रार्थी
व विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी
भूमि ग्राम बिठूजा की मूल खसरा नम्बर
246 रकबा 29.00 बीघा भूमि [illegible]
थी। तत्पश्चात् विभाजन होने पर खसरा
नम्बर 246 व 899/246 कायम हुए।
खसरा नम्बर 899/246 रकबा 14.10 बीघा
प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हुआ। खसरा
नम्बर 246 रकबा 14.10 बीघा विप्रार्थी की
खातेदारी में दर्ज हुआ। वर्तमान में खाता
नगर परिषद के खाते में दर्ज है। प्रार्थी
व विप्रार्थी को संयुक्त भूमि का मालिक
करना - भारत के अनुसार तरमीम नहीं कर
इसके विपरीत तरमीम कर दी गयी। लिहाजा
विप्रार्थी अमुक तरमीम का नामान्तरण
खारिज करवाकर प्रार्थी की कब्जा [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

186/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि में दखलंदाजी करने पर उतारू है। तथा अवैध निर्माण करने पर उतारू है। जबकि प्रार्थी का परिवर्तित क्र. में दर्शाये रंग अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, लेकिन मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम होने से काफी प्रार्थी को हानि हो रही है अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर परिवर्तित क्र. में दर्शाये रंग अनुसार मुताबिक तरमीम दुरुस्त की जावे। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) अनुसार खसरा नम्बर 899/246 प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 246 नगर परिषद बालोतरा के खाते में दर्ज है, जो कि प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि मूल खसरा नम्बर 246 के विरुद्ध होकर बने खसरा नम्बर 899/246 व 246 की तरमीम दुरुस्ती करने का अनुतोष न्यायालय हाजा से चाहा गया है, जो प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में खसरा नम्बर 246 नगर परिषद बालोतरा के खाते में है, उक्त खसरा का पूर्व में 90 ए कार्यवाही भी की गई थी। उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	उक्त कार्यवाही के आधार पर ही खाता नगर परिषद के नाम दर्ज हुआ है। इसके अलावा विवादी क्रमांक 06 तहसीलदार पचपदरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की भूमि खसरा नम्बर 246 रकबा 29 बीघा व खसरा नम्बर 245 रकबा 0.03 बीघा कुल रकबा 29.03 बीघा भूमि के खातेदार जुबीदा बानू पत्नी 1/2 हिस्सा, मतीयों, इलीयों, वजीदा, पायल पि. जोजा व मु० राणकी बेवा बोधा 1/2 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा में दर्ज सिविल वाद क्रमांक 97/1983 निर्णय दिनांक 28.7.1983 अनुसार बतलाया हुआ था तथा इसीप्रकार मौके पर बतौर के कब्जा काश्त है। इस प्रकार यह पूरी तरह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का फैसला न्यायालय द्वारा से ही हुआ है तथा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार बतलाया मालिक बतौर से भी कब्जा-काश्त है, तो तरमीम दुरुस्ती का प्रकरण बनता ही नहीं है। इसके अलावा खसरा नम्बर 245 व 246 नगर परिषद खाते में दर्ज होने के कारण प्रकरण न्यायालय द्वारा से चलने योग्य नहीं है, लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र न्यायालय द्वारा में चलने योग्य नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।
	पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा